राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक– प0 9 (27) राज– जयपुर,दिनांकः– 22.3.2006

1.समस्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
2.समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

::परिपत्र::

विषयः–राजस्थान भू राजस्व (ग्रमीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का रूपान्तरण)नियम, 1992 के अर्न्तगत रूपान्तरण हेतु अधिकारिता के बाहर व रणथम्भौर उद्यान, सवाईमाधोपुर की सीमा से 500 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के बावजूद 90 बी की कार्यवाही को निरस्त कराने के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रमीण क्षेत्रों में कृषि भूमि रूपातंरण)नियम, 1992 के नियम–8 के अर्न्तगत विभिन्न प्रयोजनों हेतू कृषि भूमि को अकृषि में सपंरिवर्तन के लिये अधिकारिता के बाहर व प्रतिबन्धित क्षेत्रों में 90 बी की कार्यवाही को निरस्त कराने बाबत राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि नियमों से सबंधित विहित अधिकारी द्वारा अधिकारिता से बाहर अनियमित सपंरिवर्तन किये जा रहे है तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र के बावजूद नियमों के विपरीत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी की कार्यवाही कर आबादी हेतु संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है जो अवैधानिक है।

अतः राज्य सरकार के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा जहां–जहां अपनी अधिकारिता से परे संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये हैं, उनको निरस्त करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–75 में निहित अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में आदेश की तिथि से 30 दिवस के अन्दर प्रावधानों के अनुसार अपील करेंगें। यदि अपील करने की अवधि निकल चुकी है तो ऐसे संपरिवर्तन आदेशों को निरस्त करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–82 के तहत अपनी राय के साथ यदि मामला न्यायिक प्रकार का है या भू प्रबंध से सबंधित है तो मण्डल को, और यदि वह मामला गैर न्यायिक प्रकार का है तथा भू प्रबंध से सबंधित नहीं है तो राज्य सरकार की आज्ञा के लिए निर्देशित (Refer)करेगा, एवं भविष्य में नियमानुसार ही विहित अधिकारी द्वारा अपनी अधिकारिता के अंदर ही संपरिवर्तन किये जावें।

जिन अधिकारियों ने अधिकारिता से बाहर या प्रतिबंधित क्षेत्र में संपरिवर्तन की कार्यवाही की है, उनके विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप–पत्र व आरोप–विवरण–पत्र तैयार कर एक माह में प्रेषित करावें।

आज्ञा से

22/3/06

(के0 जी0 अग्रवाल)
शासन उप सचिव,राजस्व

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–
1.निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री महोदया।
2.वि0सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3.निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,राजस्व।
4.निबंधक,राजस्व मंडल,अजमेर।
5.समस्त उप शासन सचिव,राजस्व विभाग,अजमेर।
6.रक्षित पत्रावली।

22/3/06

शासन उप सचिव,राजस्व

circular/p-1